# बिहार गजट

## (कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम)

# बिहार गजट

**असाधारण अंक**

**बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित**

27 श्रावण 1924 (श०)

पटना, शनिवार, 19 अक्टूबर 2002

(सं० पटना 459)


## कृषि (तौल–माप तथा बागवानी) विभाग

### अधिसूचनाएं

### 16 अक्टूबर 2002

जी० एस० आर० 3, दिनांक 19 अक्तूबर 2002 – बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1992 (बिहार अधिनियम 17, 1992) की धारा 45 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अनुज्ञप्ति नियमावली को निम्नलिखित रूप से संशोधित करते है :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ –

   (1) यह नियमावली बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियमावली, 2002 कही जा सकेगी।

   (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में प्रभावी होगी।

   (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली 93 के नियम 2 में एक नया उप–नियम (7) का जोड़ा जाना ।–उक्त नियमावली 93 के उप–नियम (6) के बाद निम्नलिखित उप–नियम (7) जोड़ा जायेगा–

   ''(7) ''नियमावली'' से तात्पर्य है बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अनुज्ञप्ति नियमावली, 1993।

3. उक्त नियमावली, 1993 के नियम 5 (2) का प्रतिस्थापन–उक्त नियमावली 93 के नियम 5(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(2) उप नियम (1) के अधीन उल्लिखित कोल्ड स्टोरेज के संबंध मे अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये एक कलेन्डर वर्ष या इसके भाग के लिये अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने हेतु अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित होगी :–

| **क्रम स०** | **कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता** | **अनुज्ञप्ति फीस** | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | बिस्कोमान या कृषि विपणन परिषद् या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज। | अन्य कोल्ड स्टोरेज |
| 1. | 282 घनमीटर तक | 1100 रु० | 1500 रु० |
| 2. | 282 घनमीटर से अधिक और 7000 घनमीटर तक | 4500 रु० | 6000 रु० |
| 3. | 7000 घनमीटर अधिक और 15000 घनमीटर तक | 7500 रु० | 10,000 रु० |
| 4. | 15000 घनमीटर से अधिक | 11,200 रु० | 15,000 रु० |

4. उक्त नियमावली के नियम 11 (1) का प्रतिस्थापना–उक्त नियमावली 93 का नियम 11(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जायेगाः–

''एक कलेन्डर वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के निमित्त अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस निम्न होगी–

| **क्रम स०** | **कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता** | **अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस** | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | बिस्कोमान या कृषि विपणन परिषद् या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज। | अन्य कोल्ड स्टोरेज |
| 1. | 282 घनमीटर तक | 600 रु० | 800 रु० |
| 2. | 282 घनमीटर से अधिक और 7000 घनमीटर तक | 2600 रु० | 3500 रु० |
| 3. | 7000 घनमीटर अधिक और 15000 घनमीटर तक | 4500 रु० | 6,000 रु० |
| 4. | 15000 घनमीटर से अधिक | 7500 रु० | 10,000 रु० |

1. उक्त नियमावली 93 के नियम 14 (1) का प्रतिस्थापना–उक्त नियमावली 93 का नियम 14(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जायेगाः–

''यदि कोई अनुज्ञप्ति खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय तो अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति 125 (एक सौ पच्चीस) रूपये की फीस, जो नियम 5 के उप–नियम 3 में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायेगी, देने पर जारी की जायेगी।

2. उक्त नियमावली, 93 के नियम 16(4) का प्रतिस्थापन–उक्त नियमावली, 93 का नियम 16(4) के स्थान पर निम्नलिखत प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

**जो उप–नियम (5) में उल्लिखित है, उक्त आवेदकों को छोड़कर निम्नकित अनुज्ञप्ति फीस ली जायेगी।**

| क्रम स॰ | कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता | निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति फीस | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | बिस्कोमान या कृषि विपणन परिषद् या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज। | अन्य कोल्ड स्टोरेज |
| 1. | 282 घनमीटर तक | 1100 रु॰ | 1500 रु॰ |
| 2. | 282 घनमीटर से अधिक और 7000 घनमीटर तक | 4500 रु॰ | 6000 रु॰ |
| 3. | 7000 घनमीटर अधिक और 15000 घनमीटर तक | 7500 रु॰ | 10,000 रु॰ |
| 4. | 15000 घनमीटर से अधिक | 11200 रु॰ | 15,000 रु॰ |

## 16 अक्टुबर 2002

जी॰एस॰आर॰ 4 – जी॰एस॰आर॰ 3, दिनांक 19 अक्तूबर 2002 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह॰) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव